राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2548/2025

जय सिंह चौधरी —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) जयपुर।
3. श्री टीकम चन्द मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम, रेंज अजमेर उपवन संरक्षक, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.04.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरज गुप्ता, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी सं.–3 की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

अपील संख्या :– 1445/2025

टीकम चन्द मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. अति. मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.), राजस्थान, जयपुर।
3. उपवन संरक्षक, अजमेर।
4. जयसिंह चौधरी, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी सं.–4 की ओर से : श्री अजय चौधरी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

अपील संख्याः– 2323/2025

टीकम चन्द मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान, जयपुर।
3. उपवन संरक्षक, अजमेर।
4. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
5. श्री जयसिंह चौधरी, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय कार्यालय उपवन संरक्षक, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.03.2024

आदेश की दिनांक : 09.06.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत/उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया। उक्त तीनों अपीलों में निहित विषय अन्तर्विहित होने के कारण तीनों अपीलों को एकल आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

अपील संख्या 2548/2025

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज अजमेर उपवन संरक्षक अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक अजमेर से रेंज अजमेर उप वन संरक्षक, अजमेर में किया गया। उक्त आदेश में अपीलार्थी का पद स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय दर्शाया गया है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण रेंज अजमेर उप वन संरक्षक अजमेर से रेंज कुण्डेरा उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक आरटीआर प्रथम किया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 टीकम चन्द मीणा क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज अजमेर उप वन संरक्षक अजमेर में हुआ है। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 17.03.2025 (अनुलग्नक–3) द्वारा कार्यमुक्त किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 18.03.2025 को कार्यग्रहण कर लिया (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी को माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर की अपील संख्या 1445/2025 टीकम चन्द मीणा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित स्थगन आदेश से प्रभावित होने से आदेश दिनांक 02.04.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को कार्य व्यवस्थार्थ विधि कार्यालय उप वन संरक्षक भीलवाडा लगाये जाने का आदेश एतदद्वारा प्रसारित किये गये। उक्त आदेश में अपीलार्थी को कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया है। राजस्थान सेवा नियमों में कार्यव्यवस्थार्थ लगाये जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। माननीय अधिकरण व उच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में यह बार बार अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी कर्मचारी को कार्यव्यवस्था में पदस्थापन नहीं किया जाए न ही कार्यव्यवस्था में लगाया जाए। यदि

आवश्यक हो तो कर्मचारी को नियमित रूप से स्थानान्तरण किया जाना चाहिये। माननीय अधिकरण ने समान प्रकरणों में स्थगन आदेश जारी किये जिसकी प्रति अनुलग्नक–5 पर संलग्न है। उक्त आदेश में यह अंकित किया गया है कि श्री टीकम चन्द मीणा के स्थगन से अपीलार्थी प्रभावित है जबकि अपीलार्थी टीकम चन्द मीणा से प्रभावित नहीं है क्योंकि अपीलार्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर कार्यरत है जबकि श्री टीकम चन्द मीणा क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर कार्यरत है इसलिए किसी प्रकार से अपीलार्थी श्री टीकम चन्द मीणा से प्रभावित नहीं है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री टीकम चन्द मीणा को दिनांक 24.02.2025 (अनुलग्नक–6) द्वारा स्थगन मिलने के पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 15.01.2025 के आदेश की पालना में 17.03.2025 को कार्यमुक्त किया गया और अपीलार्थी ने 18.03.2025 को कार्यग्रहण किया और उसे कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की गई। अपीलार्थी श्री टीकम चन्द मीणा के स्थगन से प्रभावित नहीं है फिर भी अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन किया गया जो अनुचित व अवैध है। राज्य सरकार द्वारा 15 जनवरी, 2025 के पश्चात स्थानान्तरण पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया गया है तथा उक्त आदेश में यह अंकित किया गया है कि यदि आवश्यक हो तो माननीय मुख्यमंत्रीय की स्वीकृति के पश्चात स्थानान्तरण आदेश जारी किये जा सकते है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के संबंध में आदेश जारी करने से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय की स्वीकृति नहीं ली गई। साथ ही दौराने बहस अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा बताया गया कि उसका स्थानान्तरण अल्पावधि में किया गया है, जो कि गलत तरीके से माननीय अधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त किया है क्योंकि निजी प्रत्यर्थी टीकम चंद मीणा दिनांक वर्ष 2023 से ही कार्यरत है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 02.04.2025 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को उप वन संरक्षक अजमेर में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें।

इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अपील संख्या 1445/2025

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक 09.02.2023 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय जयपुर में हुई। वर्तमान में रेंज अजमेर, उप वन संरक्षक अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज अजमेर उप वन संरक्षक अजमेर से रेंज कुंडेरा उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक आरटीआर प्रथम सवाईमाधोपुर किया गया एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर से रेंज अजमेर उप वन संरक्षक, अजमेर कर दिया

गया। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित के जारी किया गया है, जो अल्पावधि में स्थानान्तरण किया गया है। उक्त आदेश निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को इच्छित स्थान पर पदस्थापित करने के लिए जारी किया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय का पद धारित है जो कि अपीलार्थी से धारित पद से कनिष्ठ पद है। अपीलार्थी के स्थान पर उससे कनिष्ठ व्यक्ति को पदस्थापित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी रेंज अजमेर उप वन संरक्षक अजमेर में क्षेत्रीय वन अधिकारी–। के स्वीकृत पद पर पदस्थापित है एवं अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 09.02.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा 2 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर की गई थी। अपीलार्थी वर्तमान में परिवीक्षाकाल में चल रहा है। अपीलार्थी का वेतन आहरण क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद से हो रहा था। अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति के पश्चात प्रशिक्षण पर भेजा गया। अपीलार्थी द्वारा प्रशिक्षण पूरा होने पर सितम्बर 2024 में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर कार्यग्रहण कर लिया। 3 माह की अल्पअवधि पश्चात् ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से लगभग 300 कि.मी. दूर रेंज कुंडेरा उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक आटीआर प्रथम सवाई माधोपुर कर दिया गया। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति है कि किसी भी कर्मचारी/अधिकारी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से 2 वर्ष पूर्व नहीं किया जाना चाहिए। अपीलार्थी का प्रोबेशनकाल भी पूर्ण नहीं हुआ है। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण निरस्त करने हेतु प्रत्यर्थी संख्या–2 के समक्ष अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–3 से 5)। रेंज अजमेर उप वन संरक्षक अजमेर में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम का पद स्वीकृत है, जिस पर अपीलार्थी कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या–4 क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय का पद धारित करता है। उप वन संरक्षक, अजमेर रेंज अजमेर में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय का पद ही स्वीकृत नहीं है। बिना स्वीकृत पद के ही प्रत्यर्थी संख्या–4 का पदस्थापन किया जाना अनुचित एवं दुर्भावनापूर्ण है (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी का पूर्व में किसी भी आदेश से स्थानान्तरण नहीं हुआ था विवादग्रस्त आदेश दिनांक 15.01.2025 बैकडेट में जारी किया गया है तथा संशोधन की आड में अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया। जो कि अनुचित एवं दुर्भावनापूर्ण है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम रेंज अजमेर, उप वन संरक्षक अजमेर में कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने का अनुतोष चाहा गया है।

निजी प्रत्यर्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिकरण ने दिनांक 24.02.2025 को आदेश जारी कर अपीलार्थी के संबंध में जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 की क्रियान्विती अधिकरण के अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई, जो वर्तमान में प्रभावी है।

इस अपील में निजी प्रत्यर्थी जयसिंह की तरफ से दिनांक 20.01.2025 को केविएट दायर की गई।

अपील संख्या 2323/2025

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग में दिनांक 09.02.2023 को क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय जयपुर द्वारा हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज अजमेर उपवन संरक्षक अजमेर से रेंज कुण्डेरा उपवन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक आरटीआर प्रथम सवाईमाधोपुर एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 का स्थानान्तरण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक अजमेर से रेंज अजमेर उपवन संरक्षक अजमेर किया गया था। आदेश दिनांक 15.01.2025 में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 47 पर एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम क्रम संख्या 46 पर अंकित है। अपीलार्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम का पद धारित करता है और रेंज अजमेर उप वन संरक्षक अजमेर में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के स्वीकृत पद पर पदस्थापित है। प्रत्यर्थी संख्या 5 क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय का पद धारित करता है जो कि अपीलार्थी के धारित पद से कनिष्ठ है। अपीलार्थी के स्थान पर उससे कनिष्ठ व्यक्ति को बिना स्वीकृत पद के ही पदस्थापन किया गया है जो विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 09.02.2023 के द्वारा दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर की गई थी (अनुलग्नक–5)। तत्पश्चात अपीलार्थी को प्रशिक्षण पर भेजा गया, प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपीलार्थी को वेतन आहरित होने वाले स्थान पर उपस्थिति देने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। अपीलार्थी का वेतन आहरण क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम अजमेर के पद से हो रहा था। अपीलार्थी ने सितम्बर 2024 में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम अजमेर के पद पर कार्यग्रहण कर लिया। तीन माह की अल्प अवधि पश्चात ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से 300 किलोमीटर दूर रेंज कुण्डेरा उपवन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक आरटीआर प्रथम सवाईमाधोपुर कर दिया गया। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण निरस्त करने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–6 से 8)। उपवन संरक्षक अजमेर रेंज अजमेर में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम का पद ही स्वीकृत है बिना स्वीकृत पद के ही प्रत्यर्थी संख्या 5 का पदस्थापन किया जाना अनुचित एवं दुर्भावनापूर्ण है (अनुलग्नक–9)। अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 15.01.2025 को माननीय अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुए अपील संख्या 1445/2025 प्रस्तुत की। माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में दिनांक 24.02.2025 को प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 के अधिवक्ता की उपस्थिति में सुनवाई पश्चात स्थगन जारी करते हुए स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गयी तथा यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जहां पर चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। अपीलार्थी माननीय अधिकरण के स्थगन आदेश की पालना में आज दिवस तक निरन्तर रेंज अजमेर उपवन संरक्षक अजमेर में कार्यरत

है। माननीय अधिकरण के स्थगन आदेश दिनांक 24.02.2025, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 27.02.2025 की प्रति अनुलग्नक–10 एवं 11 पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 22.01.2025 (अनुलग्नक–3) द्वारा बिन्दु संख्या 03 के तहत निर्देश दिये गये है कि राजस्थान वन सेवा/क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड प्रथम एवं द्वितीय स्तर के अधिकारी माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा जारी स्थगन उपरांत स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर में अपनी उपस्थिति देंगे एवं श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर से जारी समुचित निर्देशानुसार राजकार्यों को संपादित करेंगे। पूर्व में पत्र दिनांक 05.03.2025 व पत्र दिनांक 06.03.2025 द्वारा मुख्य वन संरक्षक अजमेर द्वारा उक्त प्रकरण में उच्च कार्यालय मार्गदर्शन चाहा गया है जो अपेक्षित है। श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 15.01.2025 के क्रम में जय सिंह चौधरी, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय द्वारा दिनांक 18.03.2025 को अजमेर कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 15.01.2025 की पालना में श्री जयसिंह चौधरी, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय को क्षेत्रीय वन अधिकारी अजमेर का कार्यभार ग्रहण करने के आदेश प्रसारित किये (अनुलग्नक–1)। आदेश दिनांक 18.03.2025 की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा दिनांक 18.03.2025 को क्षेत्रीय वन अधिकारी अजमेर वन मण्डल अजमेर का चार्ज एज्यूम कर लिया गया (अनुलग्नक–2)। आदेश दिनांक 18.03.2025 में स्वयं प्रत्यर्थी संख्या 3 ने यह अंकित किया है कि पूर्व में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.03.2025 व मुख्य वन संरक्षक अजमेर के पत्र दिनांक 06.03.2025 द्वारा प्रकरण में मार्गदर्शन चाहा गया जो अपेक्षित है अर्थात उक्त कार्यालय द्वारा मार्गदर्शन नहीं दिया गया उसके उपरांत भी उपवन संरक्षक अजमेर ने अपने स्तर पर ही आलौच्य आदेश जारी कर दिया गया जो अनुचित एवं अवैध है। उपवन संरक्षक अजमेर विवादग्रस्त आदेश जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 18.03.2025 (अनुलग्नक–1 एवं 2) एवं आदेश दिनांक 22.01.2025 (अनुलग्नक–3) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर रेंज अजमेर उपवन संरक्षक अजमेर में कार्य करने का अनुतोष चाहा है।

इस अपील में किसी भी प्रत्यर्थीगण ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अधिकरण ने आदेश दिनांक 27.3.2025 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.03.2025 (अनुलग्नक–1 एवं 2) की क्रियान्विती अधिकरण के आगामी आदेशों तक स्थगित की गई, जो वर्तमान में प्रभावी है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि टीकमचंद मीणा क्षेत्रीय वन अधिकारी–I के पद पर और जयसिंह चौधरी क्षेत्रीय वन

अधिकारी–II के पद पर कार्यरत है। टीकमचंद मीणा की क्षेत्रीय वन अधिकारी–I के पद पर नियुक्ति दिनांक 09.02.2023 को हुई है और विभागीय प्रशिक्षण सम्पन्न करने के बाद उसने क्षेत्रीय वन अधिकारी–I के पद पर रेंज अजमेर में दिनांक 24.09.2024 को कार्यग्रहण कर लिया। रेंज अजमेर में क्षेत्रीय वन अधिकारी–I का पद स्वीकृत है। प्रत्यर्थी विभाग ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा श्री टीकमचंद मीणा का स्थानान्तरण रेंज अजमेर उपवन संरक्षक अजमेर से रेंज कुण्डेरा, उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक, आरटीआर प्रथम एवं श्री जय सिंह चौधरी का स्थानान्तरण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर से रेंज अजमेर उपवन संरक्षक अजमेर किया। टीकमचंद मीणा द्वारा अपने स्थानान्तरण आदेश को अपील संख्या 1445/2025 द्वारा चुनौती दिये जाने पर टीकमचंद मीणा के संबंध में जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 की क्रियान्विति को अधिकरण के आदेश दिनांक 24.02.2025 द्वारा अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया और यह आदेशित किया गया था कि टीकमचंद मीणा को वही कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। यह अंतरिम स्थगन आदेश उभय पक्ष की उपस्थिति में जारी किया गया है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 18.03.2025 द्वारा श्री जयसिंह चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी–II को रेंज अजमेर में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेशित किया गया और श्री जयसिंह चौधरी द्वारा दिनांक 18.03.2024 को रेंज अजमेर में कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके विरूद्ध भी टीकमचंद मीणा द्वारा अपील संख्या 2323/2025 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर चुनौती दी गई, जिसमें अधिकरण के आदेश दिनांक 27.03.2025 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.03.2025 और श्री जयसिंह चौधरी द्वारा कार्यग्रहण एज्यूम किये जाने की क्रियान्विति अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित की गई।

अधिकरण के उक्त आदेशों के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा श्री जयसिंह चौधरी को अस्थाई आधार पर कार्यव्यवस्थार्थ विधि, कार्यालय उप वन संरक्षक भीलवाड़ा में लगाये जाने हेतु दिनांक 02.04.2025 के आदेश जारी किए गए। जिसके विरूद्ध श्री जयसिंह चौधरी द्वारा अपील संख्या 2548/2025 प्रस्तुत की गई। उनका मुख्य कथन यह है कि आदेश कार्यव्यवस्थार्थ जारी किया गया है और नियमों में कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन करने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय और अधिकरण द्वारा भी कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन को विभिन्न प्रकरणों में विधि विरूद्ध माना है।

तीनों अपीलों के तथ्यों का समग्र रूप से विश्लेषण करने पर हम यह पाते है कि टीकमचंद मीणा क्षेत्रीय वन अधिकारी–I के पद पर कार्यरत है और रेंज अजमेर उपवन संरक्षक अजमेर में क्षेत्रीय वन अधिकारी–I का पद स्वीकृत है। श्री टीकमचंद मीणा ने क्षेत्रीय वन अधिकारी–I रेंज अजमेर के पद पर सितम्बर, 2024 में ही प्रशिक्षण उपरान्त कार्यग्रहण किया है और अल्पावधि में दिनांक 15.01.2025 को अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया और उनकी जगह क्षेत्रीय वन अधिकारी–II का पद धारित करने वाले श्री जयसिंह चौधरी को पदस्थापित किया गया है, जबकि रेंज अजमेर में क्षेत्रीय वन

अधिकारी–I का पद ही स्वीकृत है, क्षेत्रीय वन अधिकारी–II का पद स्वीकृत नहीं है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 के संबंध में टीकमचंद मीणा द्वारा दायर अपील संख्या 1445/2025 में स्थानान्तरण आदेश की क्रियान्विति स्थगित किये जाने के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 18.03.2025 को क्षेत्रीय वन अधिकारी–II के पद पर कार्यरत जयसिंह चौधरी को क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज अजमेर में कार्यभार ग्रहण करवाया जाना अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में आता है। अधिकरण में श्री टीकमचंद मीणा द्वारा दिनांक 18.03.2025 की कार्यवाही के विरूद्ध एक अन्य अपील 2323/2025 दायर कर प्रत्यर्थी विभाग की इस कार्यवाही को चुनौती दी गई, जिस पर अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 27.03.2025 को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.03.2025 और जयसिंह चौधरी द्वारा कार्यग्रहण दिनांक 18.03.2025 की क्रियान्विति को अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया।

जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 02.04.2025 जिसमें जयसिंह चौधरी को कार्यव्यवस्थार्थ विधि, कार्यालय उपवन संरक्षक भीलवाड़ा में लगाये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है। यह आदेश अधिकरण में टीकमचंद मीणा द्वारा दायर अपील संख्या 1445/2025 में जारी स्थगन आदेश की पालना में प्रसारित किये गये है ताकि अपील के अंतिम निस्तारण तक यह व्यवस्था रहे एवं एक पद पर दो कार्मिक पदस्थापित नहीं रहे।

उक्त तथ्यों के आलोक में हम यह पाते है कि श्री जयसिंह चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी–II का पद धारित करता है और श्री टीकमचंद मीणा क्षेत्रीय वन अधिकारी–I का पद धारित करता है और टीकमचंद मीणा रेंज अजमेर में क्षेत्रीय वन अधिकारी–I के स्वीकृत पद पर सितम्बर, 2024 से कार्यरत है का अल्पावधि में अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना और उसकी जगह क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के स्वीकृत पद पर कनिष्ठ कार्मिक क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय को पदस्थापित किया जाना नियम विरूद्ध है। साथ ही अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश के उपरान्त प्रत्यर्थी विभाग द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज अजमेर के पद पर श्री जयसिंह चौधरी को कार्यग्रहण कराना नियम विरूद्ध है एवं न्यायिक आदेश की अवहेलना है।

अतः अपील संख्या 2445/2025 एवं 2323/2025 स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा श्री टीकमचंद मीणा के संबंध में जारी स्थानान्तरण आदेश को अपास्त किया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.03.2025 एवं उसकी अनुवृत्ति कार्यवाही को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.04.2025 अधिकरण द्वारा अपील संख्या 1445/2025 में पारित स्थगन आदेश की अनुपालना में अपील लम्बित रहने के दृष्टिगत जारी किया गया है। हम उसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है, परन्तु अब इस आदेश से अपील निस्तारित की जा रही है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि श्री जयसिंह चौधरी के संबंध में 15 दिवस के भीतर नियमानुसार पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी करे।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस संबंध में नये सिरे से स्थानान्तरण आदेश जारी किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर जारी प्रतिबंध लागू नहीं होगी। उक्तानुसार तीनों अपीले निस्तारित की जाती है।

इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 2548/2025 में एवं छायाप्रति अन्य दोनों अपीलों की पत्रावली पर रखी जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष